निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 140/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रविकुमार पुत्र स्व. श्री नाथूराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री लक्ष्मीकान्त कटारा आर. ए. एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण, जिला जयपुर।

2 मुकेश शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3 श्रीमती ममता पत्नी श्री जुगलकिशोर शर्मा पुत्री श्री मोहनलाल शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4 श्री मोहनलाल पुत्र स्व. श्री श्योला उर्फ श्योनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

5 विजयपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जरिये मंत्री श्री महावीर यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, निवासी प्लाट नम्बर 25, मदन विहार, दादी का फाटक , मुरलीपुरा, जिला जयपुर।

6 श्री रामनारायण पुत्र स्व. श्री श्योला उर्फ श्योनारायण जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

7 श्रीमती सावित्री पत्नी श्री महेश पुत्री श्री रामनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी महेश नगर, टोंक फाटक, जिला जयपुर।

8 श्री रामदयाल पुत्र श्री रामनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

9 श्री श्यामदयाल पुत्र श्री रामनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

10 श्रीमती सीता पत्नी श्री गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्री श्री रामनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी वसुन्धरा कालोनी, वाटिका रोड, जिला जयपुर।

11 श्री कन्हैयालाल पुत्र स्व. श्री श्योला उर्फ श्योनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

12 श्रीमती मंजू पत्नी श्री रामकिशोर पुत्री श्री कन्हैयालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी हरदतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

13 श्री गिरधारी पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

14 श्री दिनेश पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

15 श्री श्रवणलाल पुत्र स्व. श्री श्योला उर्फ श्योनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

16 सुश्री विजयलक्ष्मी पुत्री श्री श्रवणलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

17 श्री राहुल पुत्र श्री श्रवणलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

18 श्री श्रीराम पुत्र स्व. श्री श्योला उर्फ श्योनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी श्याम विहार–बी, अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

19 श्री उत्तम पुत्र श्री श्रीराम जाति बागडा ब्राह्मण श्री श्रीराम जाति बागडा ब्राह्मण निवासी श्याम विहार–बी, अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

जिला कलक्टर
जयपुर

20 श्री मोहित पुत्र श्री श्रीराम जाति बागडा ब्राह्मण निवासी श्याम विहार–बी, अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

21 श्रीमती प्रभाती पुत्री श्री श्योला उर्फ श्योनारायण पत्नी स्व॰ श्री गोपाललाल शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सींवार तन झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर।

22 श्रीमती नान्छी उर्फ नन्छी पुत्री श्री श्योला उर्फ श्योनारायण पत्नी स्व॰ श्री प्रभूनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सींवार तन झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर।

23 श्रीमती कमली पुत्री श्री श्योला उर्फ श्योनारायण पत्नी श्री रामलाल शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी हरदतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

24 श्रीमती शान्ती पुत्री श्री श्योला उर्फ श्योनारायण पत्नी श्री रामस्वरूप शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी हरदतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

25 श्रीमती मीरा पुत्री श्री श्योला उर्फ श्योनारायण पत्नी श्री दिनेश शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम लुनीयावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

26 श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री नाथूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

27 श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री नाथूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

28 श्री रामजीलाल पुत्र श्री नाथूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

29 श्रीमती लादी देवी बेवा स्व॰ श्री नाथूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

30 श्री कालूराम पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

31 श्री बाबूलाल पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

32 श्री भगवान सहाय पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

33 श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

34 श्री राजेन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

35 श्री रामकिशोर पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

36 श्री सुरेश पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

37 श्रीमती बदाम पुत्री स्व॰ श्री ओमप्रकाश पत्नी श्री गिरधारीलाल शर्मा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

38 श्री प्रहलाद पुत्र स्व॰ श्री नानूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

39 श्री विनोद पुत्र स्व॰ श्री नानूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

40 श्रीमती मोहनी देवी बेवा स्व॰ श्री नानूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

41 श्रीमती हंसा देवी पत्नी स्व॰ श्री कल्याण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

जिला कलक्टर
जयपुर

42 सुश्री पुजा पुत्री स्व. श्री कल्याण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

43 सुश्री पायल पुत्री स्व. श्री कल्याण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

44 श्री गणेश पुत्र स्व. श्री कल्याण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

45 श्री रवि पुत्र स्व. श्री कल्याण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

46 श्री काशीराम पुत्र परसादीराम, जाति ब्राह्मण, निवासी परमहंस कॉलोनी, सीकर रोड, जयपुर।

47 श्री प्रभुदयाल पुत्र स्व. श्री गणपतराम, जाति माली, निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

48 श्री श्रीराम पुत्र बब्बू, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

49 श्री बाबूलाल पुत्र स्व. श्री प्रभात, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

50 श्रीमती मनभर पुत्र स्व. श्री प्रभात, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

51 श्रीमती मुरली पुत्री स्व. श्री प्रभात, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

52 श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री ताराचन्द सैनी, माली, निवासी पाल नीचे के की ढाणी, कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

53 श्री ताराचन्द सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी, निवासी पाल नीचे के की ढाणी, कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

54 श्री हनुमान सिहं पुत्र श्री सुखाराम, जाति अहीर, निवासी सेपरागुवार, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू।

55 उप–पंजीयक आमेर, पंजीयन कार्यालय तहसील आमेर, जिला जयपुर।

56 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 114/2022 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 91/2022 ब उनवानी मुकेश शर्मा व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री राधेश्याम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री पंकज कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 02.08.2022**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण, के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 114/2022 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 91/2022 ब उनवानी मुकेश शर्मा व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य

जिला कलक्टर
जयपुर

दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण, से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री पंकज शर्मा अभिभाषक जरिये वकालतन उपस्थित हुये।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 25 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है, प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 05.07.2022 नियत है। प्रकरण में कैवियटकर्त्ता द्वारा प्रार्थी को सूचना दी गई कि न्यायालय में प्रकरण को सुनवाई के लिये दिनांक 01.07.2022 को रखा गया, जिस पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 25 न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। नियत दिनांक को तथा दिनांक 01.07.2022 को न्यायालय से वाद पत्र व अस्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थना पत्र की प्रति वादी से दिलाने के लिये निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में विवादित भूमि पर अस्थायी निषेघाज्ञा जारी है, जो वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित टी–आई आदेश का नोट से होती है। इसलिए प्रकरण में जवाब टी.आई हेतु तारीख पेशी दी जावे, जिस पर न्यायालय द्वारा लंच बाद आने को कहा। प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता लंच बाद न्यायालय में गये। लंच बाद न्यायालय में विद्युत सप्लाई बाधित रही। प्रार्थी के अधिवक्ता न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की लगातार इन्तजार करके आ गये। रीडर से पूछने पर उन्होने बताया कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 50 व 51 के कैवियटकर्त्ता व प्रतिवादी संख्या 23 के अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली अन्तरिम टी.आई. आदेश में नियत की गई है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 25 को वाद पत्र व टी.आई. के नकल उपलब्ध करवाये बिना व सुने बिना प्रकरण को अन्तरिम टी.आई. आदेश में नियत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी येन केन प्रकारेण वादी/प्रार्थी के प्रभाव में है, प्राथी/वादी द्वारा पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ करने का कथन मौके पर मिन प्रतिवादी को बताया कि तुम्हारे बंटवारे के दावे नाथू बनाम श्योला की पालना में किसी भी रूप में नहीं होने दूंगा। पीठासीन अधिकारी से मैने बहुत बडे आदमी को भेज दिया है जो येन केन प्रकारेण स्टे करवा के छोडेगा। प्रार्थी के उक्त कथन कि पुष्टि इसलिए भी हो जाती है कि उन्हे ना तो वाद पत्र व टी.आई. की प्रति दी गई ओर ना ही सुनवाई का अवसर दिया है। इस कारण वादी तथा पीठासीन अधिकारी के कृत्यों से प्रार्थी को यह प्रतीत होने लगा है कि प्रकरण में उन्हे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी को संदेह युक्तियुक्त प्रतीत हो रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण,के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को किसी भी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. यद्यपि उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण,ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, परन्तु प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण, के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 114/2022 व स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 91/2022 व उनवानी मुकेश शर्मा व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम में स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

9. सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण व सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

11. निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर